बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 112 दिनांक 22/8/2008

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

\+ + +

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

\+ + +

महासचिव

सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

\+ + +

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

\+ + +

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

\+ + +

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना ।

विषयः-श्री राजय नन्द बार्डियार, अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध दाखिल खारीज करने पर दर्ज प्राथमिकी संख्या 230/2008 दिनांक 10.08.08 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि श्री बार्डियार, अंचल अधिकारी, दानापुर की हैसियत से एक दाखिल-खारिज बाद में फैसला पारित कर जमाबंदी कायम किये हैं। उससे व्यथित व्यक्ति श्रीमती रश्मि कुमारी, जौजे विकास कुमार, ग्राम कुतुपुर, जिला वैशाली के द्वारा थाना प्रभारी, दानापुर के समक्ष एक प्राथमिकी दायर किया गया एवं दानापुर थाना प्रभारी के द्वारा काण्ड संख्या 230/2008 दर्ज कर लिया गया है। जबकि दाखिल खारीज करने के आदेश के विरूद्ध राजस्व न्यायालय में अपील दायर करने का प्रावधान है।

यह आश्चर्य का विषय है कि अब राजस्व न्यायालय में पारित फैसले के विरूद्ध अपील के बदले प्राथमिकी भी दर्ज कर पदाधिकारी को प्रताड़ित करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

यदि अंचल अधिकारी को पुलिस की प्रताड़ना के साये में कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाय तो दाखिल-खारीज करने के राजस्व विभाग के अभियान में जहां एक ओर व्यवधान होगा, वहीं दूसरी ओर अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिल-खारीज करने के कार्य को रोक दिये जाने से भूमि विवाद बढ़ेगा।

आपको स्मरण होगा कि दिनांक 28.06.08 को मुख्य मंत्री को यह बताया गया था कि किसी विभागीय दायित्व के निवर्हन करने के कार्य के चलते पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की जायेगी। बल्कि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रतिवेदित कर दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस आशय का निदेश प्रधान सचिव गृह के हस्ताक्षर से निर्गत परिपत्र पत्रांक 6211 दिनांक 09.06.08 के द्वारा सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय पुलिस उप महारिनीक्षक के साथ-साथ पुलिस अधीक्षकों को कड़ी हिदायत भी दी गयी है।

आपसे बिहार प्रशासनिक सेवा यह अपेक्षा रखती है कि अविलम्ब इस मामले में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जाय अन्यथा इस आशय का निदेश संघ के द्वारा अपने पदाधिकारियों को निर्गत कर दिया जायेगा कि वे दाखिल खारीज वाद का विस्तार नही करें।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक .... दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123
+ + +
उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139
* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693
+ + +
महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484
+ + +
संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010
* अनिल कुमार
(M) 9431409463
+ + +
कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351
+ + +
संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

इस पत्र के साथ श्री वार्डियार के द्वारा समर्पित आवेदन की प्र संलग्न कर आपसे अनुरोध है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी के विरु आवश्यक कार्रवाई की जाय। जिनके द्वारा सरकार के निर्देश का उल्लं किया गया है, साथ ही इस मामले को शीघ्र समाप्त करने का भी आ पारित किया जाय ताकि भय-मुक्त होकर 'बासा' के पदाधिकारी अ दायित्वों का निवर्हन कर सकें एवं राज्य के सर्वागिण विकास में अपना सहय दे सकें।

विश्वासभाजन
ह० –
(ए० सी० मिश्र)
अध्यक्ष

ज्ञापांक 112 दिनांक 22/8/2008

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव गृह विभाग तथा प्रधान सचिव भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 22/8/08
अध्यक्ष
बिहार प्रशासनिक सेवा